न्यायालय जिला कलक्टर अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या	रजि0 नम्बर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12/31/2020	2020/00078	23.06.2020	14.02.2023

उनवान

1. योगेश पुत्र स्व0 श्री सोहनलाल सैनी, जाति माली निवासी मीणा धर्मशाला के पीछे नयाबास, अलवर हाल निवासी राजकीय आईटीआई गेट के पास, काली मोरी, हीराबास, अलवर (राज0)।

—अपीलान्ट

बनाम

1. रामकिशोर पुत्र स्व0 श्री सोहनलाल सैनी, जाति माली निवासी मीणा धर्मशाला के पीछे नयाबास, अलवर राज0।
2. दिनेश कुमार पुत्र स्व0 श्री सोहनलाल सैनी, जाति माली निवासी मीणा धर्मशाला के पीछे नयाबास, अलवर राज0।
3. नत्थी देवी पत्नी स्व0 श्री सोहनलाल सैनी, जाति माली निवासी मीणा धर्मशाला के पीछे नयाबास, अलवर राज0।
4. दुर्गाप्रसाद पुत्र सोनपाल माली
5. देवी सहाय पुत्र सोनपाल माली
6. रूगलाल पुत्र सोनपाल माली
7. हीरालाल पुत्र सोनपाल माली जातियान माली निवासीयान वाके ग्राम उमरैण पंचायत समिति उमरैण तहसील व जिला अलवर राज0।

—रैस्पोडेन्ट्स

अपील विरूद्ध तहसीलदार अलवर खाता संख्या 487 दिनांक 08.07.2019 अन्तर्गत विभाजन धारा 53(2) आरटी एक्ट 1955 न्यायालय सहायक कलक्टर अलवर में विचाराधीन होने के बाबजूद विभाजन पत्र स्वीकार बाबत्।

उपस्थितः—

01. श्री संजीव जैन —वकील अपीलान्ट
02. श्री देवेन्द्र कुमार जैन —रेस्पोडेन्ट 01 व 03

—:: निर्णय ::—

अपीलान्ट ने यह अपील विरूद्ध तहसीलदार अलवर के विभाजन पत्र आदेश दिनांक 08.07.2019 वाके ग्राम उमरैण, तहसील अलवर, जिला अलवर राज0 जिसे बेजा तौर पर स्वीकार किया गया है, से व्यथित होकर पेश की है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पौ0 को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं तहत अदालत का रिकॉर्ड तलब किया गया। वकील अपीलांट की बहस सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपनी लिखित बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि आराजी ख0 नं0 705 रकबा 0.05 है0, 70 रकबा 0.05 है0, 707 रकबा 0.03 है0, 708 रकबा 0.11 है0, 709 रकबा 0.05 है0, 710 रकबा 0.01 है0, 711 रकबा 0.15 है0, 712 रकबा 0.25 है0, 713 रकबा 0.21 है0, 714 रकबा 0.21 है0, 726 रकबा 0.01 है0, 727 रकबा 0.29 है0, 730 रकबा 0.27 है0, 731 रकबा 0.20 है0, 732 रकबा 0.32 है0, 733 रकबा 0.23 है0, 736 रकबा 0.13 है0, 737 रकबा 0.06 है0, 761 रकबा 0.34 है0 वाके ग्राम उमरैण तहसील अलवर में स्थित है। जिस आराजी में नत्थी देवी तथा सोनलाल का राजस्व रिकार्ड में 1/4 भाग बहिस्से बराबर तथा सोनपाल पुत्र ग्यासीराम 1/2 भाग के खातेदार काश्तकार दर्ज हैं। उक्त संबंध में मूल वाद सहायक जिलाधीश के समक्ष पेश किया गया था। जिसके साथ एक स्थगन प्रार्थना पत्र भी दायर किया गया

जिला कलक्टर, अलवर

था। जिसपर अन्तरिम स्थगन 06.08.2010 को जारी किया गया। दिनांक 28.02.2018 को उक्त स्थगन का फैसला दावा कन्फर्म कर दिया गया। जो आदिनांक तक प्रभावी है इसके बावजूद तहसीलदार अलवर द्वारा धारा 53(2) के तहत आराजी मुतनाजा का बंटवारा कर दिया। राजस्व वाद विचाराधीन रहने के दौरान सोनपाल का निधन हो गया। निधन के पश्चात सोनपाल के वारिसान को पक्षकार बनाये जाने हेतु दिनांक 07.07.2011 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दिया गया था तथा संशोधित टाइटल भी प्रस्तुत किया जा चुका है इसके बाबजूद भी सोनपाल माली के पुत्रान द्वारा उसकी 1/2 भाग की खातेदारी आराजी का विरासत इंतकाल अपने नाम दर्ज करा लिया। उक्त इन्द्राज के आधार पर अन्तर्गत धारा 53(2) के तहत विभाजन करा लिया गया। सोनलाल पुत्र केशोराम माली के निधन हो जाने के पश्चात विचाराधीन वाद में विधिक वारिसान को मृतक के स्थान पर दर्ज किया जाकर पक्षकार बना लिया जिनका संशोधित टाइटल स्वयं रामकिशोर माली द्वारा दिनांक 28.02.2018 को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जिसमें मृतक सोहनलाल के सभी पुत्र पुत्रियों को बहिस्से बराबर मालिक माना गया। रामकिशोन माली द्वारा माना गया इसके बाबजूद रेस्पोडेन्ट संख्या 01 व 02 द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 03 लगायत 07 से मिल्लत कर उक्त विभाजन करा लिया गया। अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 01 व 02 सोहनलाल पुत्र केशोराम माली के विधिक वारिसान हैं। सोहनलाल का निधन 23.08.2014 को हो चुका है। अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 01 व 02 तथा सोहनलाल के अन्य विधिक वारिसान संयुक्त हिन्दू परिवार के व्यक्ति हैं। समस्त चल अचल सम्पत्ति संयुक्त हिन्दू परिवार की आय से खरीदी गई है जिसका उपयोग उपभोग सामलाती तौर से किया जा रहा है। फर्जी कूटरचित वसीयतनामा को निरस्त कराने व नल एण्ड वॉइड करार दिए जाने हेतु दीवानी वाद सक्षम न्यायालय में दायर किया हुआ है। विवादित आराजी भी अपीलान्ट द्वारा संयुक्त परिवार में सबसे बडा होने के कारण अपने पिता श्री सोहनलाल के नाम 1/4 भाग व माता श्रीमति नत्थी देवी के नाम 1/4 भाग आज से लगभग 25 वर्ष पूर्व खरीद की गई थी तथा इंतकाल दर्ज करा दिया गया था। उक्त आराजी पीएनबी उमरैण में रहन रखी हुई है। असल रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 53(2) के तहत दिनांक 08.07.2019 को प्रस्तुत करना अंकित किया गया है। उक्त प्रार्थना पत्र तहसीलदार द्वारा दिनांक 08.07.2019 को दर्ज करने तथा रिपोर्ट मंगवाने हेतु भेजा जाना अंकित किया। इसके पश्चात दिनांक 08.07.2019 को विभाजन स्वीकृति तहसीलदार अलवर द्वारा जारी कर दी गई जिससे स्पष्ट है कि अपीलान्ट को हानि पहुंचाने के उद्देश्य से की गई है। मृतक के सम्पूर्ण वारिसान की जांच कर विभाजन आदि को तस्दीक किया जाना चाहिए था किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ऐसा नहीं किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 व 02 व अन्य दोषी व्यक्तियों के खिलाफ एक एफआईआर भी दर्ज कराई जो चुकी है। सहायक जिलाधीश अलवर में विचाराधीन वाद में प्रारम्भिक डिग्री दिनांक 26.09.2019 को पारित की जा चुकी है तथा इंतकाल की अपील भी सक्षम न्यायालय में विचाराधीन है। माननीय उच्च न्यायालय व राजस्व मण्डल अजमेर का विभिन्न नजीरों में यह अभिमत रहा है कि जहां आराजी विवादित हो तथा सक्षम न्यायालय में न्यायिक कार्यवाहियों विचाराधीन हों तब तक विभाजन की कार्यवाही निरस्त कर दी जानी चाहिए। अपील में वर्णित आराजी जयसमंद बांध के भराव क्षेत्र में आती है तथा विवादित आराजी में मात्र काश्तकारी गतिविधियां ही कारित की जा सकती है किन्तु रेस्पोडेन्ट द्वारा तस्दीक हो जाने के पश्चात विवादित आराजी के काफी भाग में प्लाटिंग कर बेचान की जा चुकी है तथा सडक भी बनाई जा चुकी है। विवादित आराजी का विभाजन कर पीएनबी से रहन फक्क होने से पूर्व कानूनन नहीं किया जा सकता। अपील के साथ पृथक से दफा 96 सीपीसी प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। उक्त विभाजन आदेश की जानकारी अपीलान्ट को तब हुई जब अपीलान्ट दिनांक 22.01.2020 को तहसील अलवर गया तथा राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किया। प्रमाणित प्रति प्राप्त कर बिना देरी के अपील पेश की गई। विभाजन आदेश 08.07.2019 से जानकारी तिथि 22.01.2020 तक हुई देरी जानकारी न होने के कारण माफ किए जाने योग्य है जिसके लिए पृथक से प्रार्थना पत्र दफा 05 मियाद अधिनियम पेश किया गया है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर तहसीलदार अलवर द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.07.2019 निरस्त फरमाया जावे।

वकील रेस्पोडेन्ट संख्या 01 व 03 द्वारा लिखित व मौखिक बहस में निवेदन किया की अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस के पैरा संख्या 01 में वर्णित आराजी कुल किता 19 रकबा 2.97 है0 वाके ग्राम उमरैण स्थित है को अपीलान्ट ने विवादित होना गलत अंकित किया है जबकि सही

जिला कलक्टर, अलवर

तथ्य यह है कि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में उक्त आराजी रेस्पोडेन्ट संख्या 01 व 02 के 1/4 हिस्से , रेस्पोडेन्ट संख्या 03 के 1/4 हिस्से, रेस्पोडेन्ट संख्या 04 लगायत 07 के 1/2 हिस्से में दर्ज है इसी प्रकार काबिज रहकर काश्त कर रहें हैं। सोहनलाल बनाम सोहनपाल के मध्य विभाजन को वाद न्यायालय सहायक जिलाधीश अलवर में चला दौराने वाद वादी व प्रतिवादी का देहान्त हो गया उपरोक्त आराजी सोहनलाल व उसकी पत्नी रेस्पोडेन्ट संख्या 03 नत्थी देवी की 1/4 व 1/4 खरीद की है तथा 1/2 हिस्सा सोहनपाल का है। सोहनलाल ने अपने जीवनकाल में अपना 1/4 हिस्सा जरिये रजिस्टर्ड वसीयत द्वारा उप पंजीयक अलवर रेस्पोडेन्ट संख्या 01 व 02 को कर दिया तथा नत्थी देवी स्वयं मौजूद है अपीलान्ट ने अपनी लिखित बहस के पेज संख्या 02 के पैरा संख्या 04 में सोहनलाल पुत्र केशोराम का निधन दिनांक 23.08.2014 अंकित किया है। उपरोक्त आराजी सोहनलाल व नत्थी देवी की स्व अर्जित आराजी है। सोहनलाल ने अपने जीवनकाल में अपनी स्व अर्जित आराजी को रेस्पोडेन्ट संख्या 01 व 02 के नाम वसीयतनाम रजिस्टर्ड करा दिया और उसके आधार पर इंतकाल संख्या 1074 रेस्पोडेन्ट संख्या 01 व 02 के नाम सोहनलाल की मृत्यु के बाद तस्दीक कर दिया गया और उनका नाम राजस्व रिकॉर्ड में आ गया। सोहनपाल के जायज वारिस 1/2 हिस्सा तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 01 व 02 का 1/4 हिस्सा व रेस्पोडेन्ट संख्या 03 का 1/4 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में आने पर उन्होने धारा 53(2) आरटी एक्ट का प्रार्थना पत्र आपसी सहमति से उक्त आराजी को विभाजित कर लिया जिसका विवरण अपीलान्ट द्वारा लिखित बहस में किया गया है। अपीलान्ट का विवादित आराजी व इंतकाल से कोई संबंध नहीं है। विवादित आराजी मृतक सोहनलाल की स्व अर्जित आराजी थी जिसने अपने जीवनकाल में अपने दोनों पुत्र रेस्पोडेन्ट संख्या 01 व 02 के पक्ष में रजिस्टर्ड वसीयत कर दी और उस वसीयत के आधार पर इंतकाल दर्ज होकर स्वीकार हुआ । रेस्पोडेन्ट ही विवादित आराजी पर काबिज होकर काश्त कर रहे हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा न्यायोचित आदेश पारित किया है। अपीलान्ट को राजस्व न्यायालय में वादपत्र व अपील प्रस्तुत करने का अधिकारी नहीं है यदि विक्रय पत्र और वसीयतनामा गलत है तो अपीलान्ट को दीवानी न्यायालय में वादपत्र पेश करना चाहिए। अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमायी जावे। वकील रेस्पोडेन्ट द्वारा अपने जबाब की ताईद में आरआरटी 2022(2) पेज 1207, आरआरटी 2020(1) पेज 271 पेश किए हैं।

हमने पत्रावली में उपलब्ध अपीलांट द्वारा पेश दस्तावेजात का अवलोकन किया गया तथा वकील उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर है कि विवादित आराजी सोहनलाल व नत्थी देवी की स्व अर्जित आराजी है। सोहनलाल द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 01 व 02 को अपने हिस्से की स्व अर्जित आराजी को जरिये वसीयतनामा रजिस्टर्ड करने का पूर्ण अधिकारी है। रेस्पोडेन्ट संख्या 03 नत्थी देवी जीवित होने के कारण रेस्पोडेन्ट द्वारा सहमति से उक्त आराजी को विभाजित किया गया है। विक्रय पत्र व वसीयतनामा के आधार पर अपीलान्ट को दीवानी न्यायालय में वाद पेश करना चाहिए। वकील रेस्पोडेन्ट द्वारा पेश की गई नजीरों से स्पष्ट है कि यदि किसी व्यक्ति के पक्ष में स्व अर्जित विवादित आराजी के संबंध में रजिस्टर्ड वसीयतनामा है तो उस स्तिथि में उत्तराधिकारी का हक नहीं बनता है। यदि वसीयतनामे पर किसी को एतराज है तो उसकी कार्यवाही सक्षम न्यायलय में की जानी चाहिए। उक्त संबंध में अपीलान्ट दीवानी न्यायालय में वाद पेश करने हेतु स्वतंत्र है। अपील अपीलांट खारिज किये जाने योग्य है।

अतः उक्त विवेचन एवं उपलब्ध दस्तावेजात के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति अधिनस्थ न्यायालय को उनके रिकॉर्ड सहित भिजवाई जावें। इस न्यायालय की पत्रावली बाद तकमील दफ्तर दाखिल हों।

निर्णय आज दिनांक 14.02.2023 को अद्योहस्ताक्षरकर्ता द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी)
जिला कलक्टर, अलवर
(राजस्थान)